

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  
अंध्र प्रदेश  
Union Bank  
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-06-2024

Agency Name.	MODERN STEEL INDUSTRIES
Application No.	70150701462
MoEF/SG File No.	9-HRB153-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Plot no-63, Village - Alipur, BarwalaPanchkula
Amount(in Rs)	40334/-

Amount in Words :Forty Thousand Three Hundred and Thirty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970150701462 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through even after 7 working days, then kindly mail a copy to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurubin0903710@unionbankofindia.bank

KKBKH24186828002



## COMPLIANCE OF REPORT 2A/2B

**Proposal Name** - Diversion of 0.0035 Ha. of Forest Land for access to approach road to the Proposed Site plan for M/s Modern Steels Industry at Village - Sarakpur Teh. - Raipur Rani, Distt. - Panchkula (HARYANA)

(Online Proposal No. FP/HR/Approach/150701/2021)

**I, Ved Parkash, Partner, M/s Modern Steel Industries, Village - Alipur, Tehsil – Barwala, Distt – Panchkula (HR)** applied for diversion of 0.0035 Ha. of Forest Land for access to approach road to the Proposed Site plan for M/s Modern Steels Industry at Village - Sarakpur Teh. - Raipur Rani, Distt. - Panchkula (HARYANA)

I do hereby solemnly affirm and declare as under: -

यहाँ राशि CA, ACA, NPV के माध्यम से Union Bank of Indian में जमा करवा दी गई है जिसका Ref. No. – KKBKH24186828002 है

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी
- ii. काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वृक्षों की कटाई राज्यवन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों के पातन में हुए खर्चकी राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्यवन विभाग को जमा करवाएंगे।
- iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि **C-27, Masumpur Beat, Meerpur Block, Raipur Rani Range** में **100** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा
- iv. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
- v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- vi. माननीय उच्चतम न्यायालयके निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

- vii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- viii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- ix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- x. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- xi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
- xii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है |
- xiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xiv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी
- xv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

For Modern Steel Industry

*Ved Parkash*

Partner

**Ved Parkash, Partner,  
M/s Modern Steel Industries**

COMPLIANCE OF SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)  
TITLE OF THE CASE/PROJECT:

Diversion of 0.0035 Ha. of Forest Land for access to approach road to the proposed site of M/s Modern Steel Industries situated at Plot No. - 63, Industrial Estate, Alipur, Teh. - Barwala, Distt - Panchkula (HR) (FP/HR/Approach/150701/2021)

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 year to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census 2011.

Bhupender Singh Raghav, H.F.S.  
Divisional Forest Officer  
Morni Pinjore  
Morni - Pinjore Forest Division  
Pinjore [Panchkula]

Signature  
Full Name and official seal of  
District Commissioner,  
Deputy Commissioner  
Panchkula  
Panchkula